न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 16/2018 अपील

1.श्री मांगीलाल पिता रूपा कुमावत 2.श्री गणेश पिता रूपा कुमावत 3. सोहनी पुत्री रूपा कुमावत 4. कंकू पुत्री रूपा कुमावत 5. नारू पुत्री रूपा कुमावत निवासियान खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा —— अपीलार्थीगण	**बनाम**	**उनवान** 1. श्री भैरूलाल पिता रूपा कुमावत नि0खेराबाद 2.देउ पुत्री रूपा कुमावत नि0 खेराबाद 3.केसी पुत्री रूपा कुमावत नि0 खेराबाद 4.बाली पुत्री रूपा कुमावत नि0 खेराबाद 5.कोयली पुत्री रूपा कुमावत नि0 खेराबाद 6.रामू पुत्री रूपा कुमावत नि0 खेराबाद 7.संतोष पुत्री रूपा कुमावत नि0खेराबाद त0 हमीरगढ 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हमीरगढ ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार हमीरगढ बमामला नामान्तरकरण संख्या 1288 ग्राम खेराबाद निर्णय दिनांक 11.02.2013

उपस्थित :– श्री मनोज कुमावत अधि0 अपीलार्थी
श्री नवीन निम्बार्क अधि0 रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक : 23/05/2018

अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार हमीरगढ , बमामले नामान्तरकरण संख्या 1288 ग्राम खेराबाद निर्णय दिनांक 11.02.2013 के खिलाफ दिनांक 04.05.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण जो कि रूपा पिता भूरा कुमावत निवासी खेराबाद के वारिसान है व प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से लगायत 07 जो कि रूपा पिता गोकल कुमावत निवासी खेराबाद के वारिसान है। वाके ग्राम खेराबाद तहसील हमीरगढ में जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 खाता नम्बर 448 में अंकित आराजी नम्बर 489 रकबा 2.06 बीघा भूमि अपीलार्थीगण के पिता रूपा पिता भूरा कुमावत की होकर रूपा के देहावसान उपरान्त विरासत से तहसीलदार साहब हमीरगढ द्वारा जरिये इन्तकाल नम्बर 1288 के जरिये उपरोक्त आराजी का विरासत से नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से लगायत 07 के नाम पर खोला गया जो गलत है क्योंकि अपीलार्थीगण रूपा पिता भूरा कुमावत के वारिसान है एवं प्रत्यर्थीगण रूपा पिता गोकल कुमावत के वारिसान है परन्तु रूपा पिता भूरा के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण बिना वारिसान की जांच किए ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पारित किया जो खारिज योग्य है। अपील में दर्ज आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु दिनांक 16.03.2018 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 01 से लगायत 07 के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई इस पर अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन किया व नामान्तरकरण की नकल दिनांक 11.04.2018 को प्राप्त हुई तब अपीलार्थी को उक्त अवैध व गलत नामान्तरकरण की जानकारी हुई तथा जानकारी दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। नामान्तकरण के आदेश दिनांक से नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ के नामान्तरकरण संख्या 1288 निर्णय दिनांक 11.02.2013 को निरस्त करा प्रत्यर्थी संख्या 01 से लगायत 07 व लाली पत्नि रूपा का नाम हटा उक्त आराजीयात अपीलार्थीगण के नाम दर्ज करायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अपीलाधीन आदेश सम्बधी रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण मय अधिवक्ता ने स्वयं उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुए अपील को स्वीकार किया। अपीलार्थीगण के द्वारा अपील मीमों के साथ में नामान्तरकरण संख्या 1288 ग्राम खेराबाद की प्रमाणित फोटो प्रति, ग्राम खेराबाद के खाता संख्या 448 सम्वत् 2063 से 2066 , खाता संख्या 470 सम्वत् 2067 से 2070, खाता संख्या 388 सम्वत् 2071 से 2074 , खाता संख्या 492 सम्वत् 2071 से 2074 व प्रत्यर्थीगण के खाता संख्या 391 सम्वत् 2071 से 2074 की नकल जमाबन्दियां, ग्राम खेराबाद के नामान्तकरण संख्या 892 निर्णय दिनांक 20.12.2007, नामान्तकरण संख्या 816 निर्णय दिनांक 20.12. 2005 की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की। वकील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण का नाम खाते में दर्ज किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के नाम आदेश फरमावें। वकील प्रत्यर्थीगण ने बहस में बताया कि ग्राम खेराबाद की आ0नं0 489 अपीलार्थीगण के बाप दादाओं की है जो सहवन से हमारे नाम दर्ज हो गई है जिससे अपील स्वीकार फरमाई जाने में हम प्रत्यर्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं अपील में अंकित तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सर्व प्रथम अपील मेमो के साथ प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया जाकर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ के आदेश के सम्बन्ध में पत्थरगढी हेतु पटवारी हल्का को आवेदन करने पर जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई तत्पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई अतः निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन फरमा अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। प्रत्यर्थीगण के द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर अपील को स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के दफा–5 के प्रार्थनापत्र को सामान्य न्याय सिद्धान्तो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अब अपील मीमो के गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा हैं। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील मीमो में विवाद का विषय यह रहा कि ग्राम खेराबाद तहसील हमीरगढ की आ0नं0 489 रकबा 2–06 बीघा भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 व सम्वत् 2067 से 2070 में श्री रूपा पिता भूरा कुमावत के नाम खातेदारी से दर्ज थी। श्री रूपा पिता भूरा कुमावत की मृत्यु होने पर नामान्तकरण संख्या 1288 निर्णय दिनांक 11.02.2013 से उक्त आराजी विरासत से श्री भैरूलाल, देउ, केसी, बाली, कोयली, रामू, संतोष पिता रूपा व लाली पत्नि रूपा के नाम सम्वत् 2067 से 2070 की जमाबन्दी में दर्ज हुई जो कि प्रत्यर्थीगण है। अपील में दर्ज आराजी संख्या 489 प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की नहीं है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ ने स्व0 रूपा पिता भूरा कुमावत के वारिसान के सम्बन्ध में बिना जांच किए रूपा पिता गोकल कुमावत के वारिसान के नाम पर खाता दर्ज कर दिया जो गलत है जिसकी पुष्टि अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत ग्राम खेराबाद के नामान्तकरण संख्या 816 निर्णय दिनांक 20.12.2005 से होती है जिसमें खातेदार का नाम श्री रूपा पिता गोकल कुमावत दर्ज है तथा रूपा के फौत होने पर यह विरासत का नामान्तकरण दर्ज़ हुआ जिसमें रूपा पिता गोकल के बजाय श्री भैरूलाल पिता रूपा, देउ, केसी, बाली, कोयली, रामू, संतोष पिता रूपा व लाली पत्नि रूपा कुमावत का नाम दर्ज होकर ग्राम खेराबाद के खाता संख्या 391 में दर्ज आराजी नं0 790, 796, 813 व 1601/739 कुल कीता 4 कुल रकबा 2–14 बीघा भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में दर्ज है। इसी प्रकार अपीलार्थीगण के नाम ग्राम खेराबाद में अन्य आराजीयात खाता संख्या 492 में कुल कीता 7 कुल रकबा 5–01 बीघा भूमि नामान्तकरण संख्या 892 निर्णय दिनांक 20.12.2007 से रूपा पिता भूरा कुमावत के फौत होने पर दर्ज हुई है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 816 निर्णय दिनांक 20.12.2005 एवं नामान्तकरण संख्या 892 निर्णय दिनांक 20.12.2007 से इस तथ्य की पुष्टि

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

होती है कि स्व0श्री रूपा पिता गोकल कुमावत के वारिसान प्रत्यर्थीगण है तथा स्व0 रूपा पिता भूरा कुमावत के वारिसान अपीलार्थीगण है । परन्तु अपील में दर्ज आराजी नं0 489 जो स्व0 रूपा पिता भूरा कुमावत की थी जिसके देहावसान होने पर उक्त आराजी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्व0 रूपा पिता भूरा कुमावत के विधिक वारिसान की जांच किए बिना ही नामान्तकरण संख्या 1288 दिनांक 11.02.2013 निर्णित किए जाने में विधिक त्रुटी की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण ही रूपा पिता भूरा कुमावत के विधिक वारिस है ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव –

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार हमीरगढ, बमामले नामान्तरकरण संख्या 1288 निर्णय दिनांक 11.02.2013 को निरस्त करते हुए स्व0 श्री रूपा पिता भूरा कुमावत नि0 खेराबाद के खाते की आराजी नम्बर 489 रकबा 2–06 बीघा भूमि प्रत्यर्थीगण एवं स्व0 लाली पत्नि रूपा कुमावत के बजाय अपीलार्थीगण का नाम दर्ज किये जाने हेतु अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है। आदेशानुसार पालना हेतु आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा